विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2017

संख्या-4/2017/65/तीस-4-2017-160/96

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2017

विषय: विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 में यातायात प्रबंधन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली वाहनों के किराये भाड़े की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-972/सा0प्र0/2016-330टीआर/2016, दिनांक 28.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल/जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 में अधिग्रहीत एवं उपयोग की जाने वाली गाड़ियों के भाड़ों की निम्नलिखित दरों पर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2017 में प्रस्तावित भाड़े की दरें		
	गाड़ी का प्रकार	भाड़े की दरें
1. बसें	15 से 24 सीटर	रूपया-1002.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	25 से 34 सीटर	रूपया-1129.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	35 से 40 सीटर	रूपया-1263.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	41 से 45 सीटर	रूपया-1306.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	46 तथा उससे अधिक	रूपया-1482.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
2. ट्रकें	7500 कि0ग्रा0 सकल यान का भार तक	रूपया-1160.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	7500 कि0ग्रा0 से अधिक 12000 कि0ग्रा0 तक	रूपया-1237.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	12000 कि0ग्रा0 से अधिक 16200 कि0ग्रा0 तक	रूपया-1435.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
	16200 कि0ग्रा0 से अधिक/मल्टीएक्सल	रूपया-1579.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
3. ट्रैक्टर ट्रेलर		रूपया-393.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन
4. जीप, टैक्सी, कारें, मैक्सी कैब		
[redacted]	पेट्रोल चलित इंजन क्षमता 1200 सीसी तक एवं डीजल चलित इंजन क्षमता। 1450 सीसी तक के हल्के सवारी वाहन {जीप, इन्डिका, मार्सल, वैगन-आर टाटा, मारूति जिप्सी/वैन, ब्रीजा, सियाज, क्रेटा (डीजल) आदि}	रूपया-925.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन (नॉन एसी) रूपया-1067.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन (एसी)
	पेट्रोल चलित इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक एवं डीजल चलित इंजन क्षमता। 1450 सीसी से अधिक के हल्के सवारी वाहन {स्कार्पियो, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, एस क्रास, क्रेटा (पेट्रोल), मोबाइलियों, टीयूवी 300 आदि}।	रूपया-1424.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन (नॉन एसी) रूपया-1565.00 दैनिक तथा तेल और ईंधन (एसी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

2- अधिग्रहण की गयी गाड़ियों के किराये के भुगतान के संबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि गाड़ी के प्रस्तुत किये जाने के समय से उसे रिलीज किये जाने के समय तक के कुल घंटों में 24 का भाग देकर जितना भागफल आये उतने पूर्ण दिनों का किराया दिया जाय, जो शेष बचे यदि वह छः घंटे से कम हो तो कोई किराया न दिया जाय। 6 घंटे से 13 घंटे तक का आधा किराया और 13 घंटे या उससे अधिक का पूरे दिन का किराया दिया जाय।

3- जहाँ तक बाहरी सम्भाग या सम्भाग के अन्य जिलों से मँगायी गयी गाड़ियों का सम्बन्ध है, उन्हें प्रस्तुत किये जाने के समय से किराया देय होगा, परन्तु वापसी में लगे समय के किराये के भुगतान की गणना विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 के सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या-12/सी0ई0ओ0-3-01/3-2012, दिनांक 09.01.2017 में निर्धारित सूत्र के अनुसार की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-06/दस-2017, दिनांक 18 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2017/65(1)/तीस-4-2017 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) सी0ए0एस0एस0-3-टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।